न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur 2022-029 (GCMS2022-88) Kanniram Vs Devilal etc

कन्नीराम पुत्र सीताराम भाटी जाति माली
निवासी खेडीवाला बेरा, मगरा पूंजला,
ज़िला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. देवीलाल पुत्र लिखमाराम जाति माली
2. डा. जया दाधीच पत्नी नन्दकिशोर
3. नन्दकिशोर पुत्र अम्बालाल
4. कौशल्या पत्नी अम्बालाल
   रेस्पो. संख्या 2 व 4 जातियान दाधीच ब्राह्मण
   निवासीगण बिसलपुर हाल अम्बेश्वर नगर,
   मगरा पूंजला, जोधपुर
5. छंवरलाल पुत्र लिखमाराम भाटी
6. उगमसिंह पुत्र सीताराम भाटी
7. कल्याणसिंह पुत्र सीताराम भाटी
8. उम्मेदसिंह पुत्र सीताराम भाटी
9. कौशल्या पुत्री सीताराम भाटी
10. विघादेवी पुत्री सीताराम भाटी
11. सरोज पुत्री सीताराम भाटी
12. लूणीदेवी पुत्री सीताराम भाटी
13. रामकंवरी पत्नी सीताराम भाटी
14. मंगलसिंह पुत्र शिवराम
    रेस्पो. संख्या 5 से 14 जातियान माली
    निवासीगण खेडीवाला बेरा, मगरा पूजला
    जोधपुर
15. हरिशचन्द्र पुत्र बकलाराम जाति माली
    निवासी ए 17 सर प्रताप कॉलोनी,
    एन सी सी भवन के पास, एयर फोर्स
    जोधपुर
16. वेदप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति माली
    निवासी सांखला बस्ती मगरा पूंजला
    जोधपुर
17. ब्रह्मसिंह पुत्र नरसिंह भाटी जाति माली,
    निवासी नरसिंहजी की प्याऊ के पास,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मगरा पूंजला, जोधपुर
18. प्रेमसुख डागा पुत्र बालूराम जाति माहेश्वरी,
निवासी श्रीराम बिल्डिंग के पास,
महामन्दिर, जोधपुर
19. सुशीलादेवी पत्नी प्रेमसुख डागा जाति माहेश्वरी,
निवासी श्रीराम बिल्डिंग के पास,
महामन्दिर, जोधपुर
20. वीणा पत्नी महेश माथुर,
निवासी 16/254 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,
जोधपुर
21. भंवरीदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट,
निवासी प्लाट नम्बर 14-15 रामनगर, गुलाबनगर के पास,
आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, जोधपुर
22. अरुण सांखला पुत्र जमनीराम सांखला जाति माली,
निवासी सांखलों का बास,
मगरा पूंजला जोधपुर
23. गायत्रीदेवी पत्नी विजय चौहान जाति माली,
निवासी सांखलों का बास,
मगरा पूंजला जोधपुर
24. संतोष पत्नी दयाराम चौहान जाति माली,
निवासी गांधीनगर, चुतरावतों का पुलिया,
मगरा पूंजला, जोधपुर
25. छोटादेवी पत्नी छेलाराम जाति माली,
निवासी खेडीवाला बेरा
मगरा पूंजला जोधपुर
26. नेमीचंद पुत्र नरसिंह भाटी जाति माली
निवासी खेडीवाला बेरा,
मगरा पूंजला, जोधपुर
27. मिनीषा पत्नी सुखांत जाति माली,
निवासी ए 17 सर प्रताप कॉलोनी
एन सी सी भवन के पास, एयर फोर्स जोधपुर
28. परसराम पुत्र नरसिंह भाटी जाति माली,
निवासी खेडीवाला बेरा,
मगरा पूंजला जोधपुर
29. छत्तरसिंह पुत्र नरसिंह भाटी जाति माली,
निवासी नरसिंह प्याऊ के पास,
मगरा पूंजला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

30. गोकलसिंह पुत्र दलपत पुत्र बाबुलाल जाति माली,
    निवासी खेडीवाला बेरा,
    मगरा पूंजला जोधपुर
31. संदीप पुत्र दलपत जाति माली
    निवासी खेडीवाला बेरा,
    मगरा पूंजला जोधपुर
32. मुकेश पुत्र दलपत जाति माली
    निवासी खेडीवाला बेरा,
    मगरा पूंजला जोधपुर
33. इन्द्रा पत्नी दलपत जाति माली
    निवासी खेडीवाला बेरा,
    मगरा पूंजला जोधपुर
34. नरपत पुत्र बाबुलाल जाति माली
    निवासी खेडीवाला बेरा,
    मगरा पूंजला जोधपुर
35. कुसुम पुत्री बाबूलाल पत्नी पृथ्वीसिंह जाति माली
    निवासी दर्जियों की बस्ती,
    मगरा पूंजला, जोधपुर
36. दिनेश पुत्र प्रेमसिंह देवडा जाति माली,
    निवासी उजीरसागर आंगणवा,
    जोधपुर
37. धीरेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह देवडा जाति माली,
    निवासी उजीरसागर आंगणवा,
    जोधपुर
38. विक्रम पुत्र प्रेमसिंह देवडा जाति माली,
    निवासी उजीरसागर आंगणवा,
    जोधपुर
39. मंजू पुत्री प्रेमसिंह देवडा जाति माली,
    निवासी उजीरसागर आंगणवा,
    जोधपुर
40. राजस्थान राज्य
    जरिये तहसीलदार जोधपुर
41. भूमि अवाप्ति अधिकारी मय उपायुक्त (उत्तर)
    जोधपुर विकास प्राधिकरण,
    जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) .दिनांक 25 जनवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 28/2021 देवीलाल व अन्य बनाम छंवरलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री एच.एस.कच्छवाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17 व 26
श्री नन्दकिशोर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री मनोहरसिंह शेखावत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 30
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 40

नि र्ण य

दिनांक : 18 जनवरी, 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2021 देवीलाल व अन्य बनाम छंवरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत आराजी खसरा संख्या 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा पूंजला के ⅛ हिस्से (पूर्व से पश्चिम तक उत्तरी भाग रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी) आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति से हुए बंटवाडा माफिक "अम्बेश्वर नगर" आवासीय योजना नाम दिया जाना और उसमें से वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 4 के पक्ष में 2750, 687.5 व 687.5 वर्गफीट भूभाग का जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बेचान किया जाना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया। जिसका प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 व 10 से 11 (वर्तमान अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 6 से 8 व 13 से 14) ने जवाब एवं प्रतिदावा पेश कर विरोध किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुन कर जरिये अपीलाधीन निर्णय उक्त प्रतिदावा दिनांक 25 जनवरी 2022 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बंटवारे के दावे में प्रत्येक वादी प्रतिवादी होता है और प्रत्येक प्रतिवादी वादी होता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट-प्रतिवादी की अन्य भूमि भी ग्राम पूंजला में स्थित है जिनमें भी पक्षकार समान होने के कारण उनके संबंध में भी प्रतिवादी (अपीलाण्ट) बंटवारे की इस्तदुआ कर सकता है, जिसके लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रतिवादी की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्ड देखे बिना ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाण्ट-प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज कर दिया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र भी पेश नहीं हुआ, इसके उपरान्त भी प्रतिदावा खारिज कर दिया गया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने सी.आर.पी.(एम.डी.) 42/2012 ए.वी.मुरुग्गन बनाम के. महेश्वरी व अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुराई बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2019 (पेरा 14) की ओर न्यायालय का ध्यान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आकर्षित करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने व विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15 जनवरी 2022 व उसके अनुसरण में जारी डिकी पर्चा दिनांक 15 मार्च 2022 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2017(पूरक) सी.सी.सी. 198 (उडीसा) एवं सिविल रिट पेटीशन संख्या 15150/2018 मैसर्स न्यु ओम साई स्टोन बनाम प्रकाश पुत्र देवीलाल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 07 अगस्त 2018 उद्धरित करते हुए लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि दावे की विषय-वस्तु से भिन्न सम्पत्तियों बाबत प्रतिदावा संधारणीय नहीं होता है। आलौच्य मामले में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दावा आराजी खसरा संख्या 267 के संबंध में पेश किया गया, जबकि अपीलाण्ट-प्रतिवादी की ओर से प्रतिदावा आराजी खसरा संख्या 152, 152/1, 153, 153/1, 156, 157 व 267 के संबंध में पेश किया गया, जिसे खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 जनवरी 2022 के अनुसरण में डिकी पर्चा दिनांक 15 मार्च

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2022 को तैयार किया गया। अतः अपील के साथ डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने की अनुवार्यता में छूट प्रदान किये जाने बाबत अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

मामले के गुणावगुण पर विचार करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से आराजी खसरा संख्या 267 के संबंध में पेश किया गया, जबकि अपीलाण्ट-प्रतिवादी की ओर से प्रतिदावा आराजी खसरा संख्या 152, 152/1, 153, 153/1, 156, 157 व 267 के संबंध में पेश किया गया। दोनों में ही बंटवारे बाबत भी अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2037-2040, जमाबंदी संवत 2042-2045, जमाबंदी संवत 2050-2053 एवं जमाबंदी संवत 2054-2057 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 267 तथा खसरा संख्या 152, 152/1, 153, 153/1, 156, 157 व 267 बाबत दो अलग-अलग खाते संधारित किये हुए है, जिनमें सीताराम मंगलसिंह पिसरान शिवराम का नाम दोनों खातों में समान होने के अलावा अन्य अलग-अलग सहखातेदारान दर्ज है।

जो न्यायिक दृष्टान्त अदालत हाजा के समक्ष उद्धरित किये गये, उनमें से अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत सी.आर.पी. (एम.डी.) 42/2012 ए.वी.मुरुगन बनाम के. महेश्वरी व अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुराई बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2019 (पेरा 14) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "counter claim" को "cross suit" के समान ही माना गया है। इसी प्रकार अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में दावे की विषय-वस्तु से भिन्न सम्पत्तियों बाबत प्रतिदावा संधारणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं माना गया है। अदालत हाजा इन सभी न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान करती है और इनके परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत विचार किये जाने पर अदालत हाजा की विनम्र राय में खसरा संख्या 152, 152/1, 153, 153/1, 156 व 157 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिदावा खारिज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है किन्तु खसरा संख्या 267 बाबत प्रतिदावा खारिज किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खसरा संख्या 267 वाके मौजा पूंजला बाबत अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त आब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप तनकियात कायम की जावे और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जावे। खसरा संख्या 152, 152/1, 153, 153/1, 156 व 157 बाबत संबंधित पक्षकारान नवीन दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर